13

बिहार सरकार
कृषि विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–NHM/BHDS/117/2020- 703 NHM/ पटना दिनांक 07/5/2020

प्रेषक,

डॉ० एन० सरवण कुमार, भा०प्र०से०
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी, जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी, पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषय : **कोविड–19 (COVID-19) महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉक डाउन के दौरान किसानों के खेत में ग्रीष्मकालीन फसलों के बचाव हेतु ड्रीप अधिष्ठापन से जुड़े प्रतिष्ठानों को छूट देने के संबंध में।**

प्रसंग : **भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक–40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 25.03.2020 एवं 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 27.03.2020.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि ग्रीष्मकालीन फसलों के बचाव हेतु कम जल में अधिक सिंचाई के लिए ड्रीप अधिष्ठापन अत्यावश्यक है। इस कार्य का निष्पादन कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय अन्तर्गत निबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है। राज्य में ग्रीष्मकालीन मौसम में भूमि जल की कमी को देखते हुए फसलों के सिंचाई हेतु ड्रीप अधिष्ठापन का कार्य अतिआवश्यक है। कृषि कार्य को गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रसंगाधीन पत्र एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–155 (HS) दिनांक 23.03.2020 के द्वारा छूट प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि किसानों के खेतों में ड्रीप अधिष्ठापन कार्य समय पर नहीं होने की स्थिति में ग्रीष्मकालीन फसल की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।

अनुरोध है कि जिलान्तर्गत संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश देना चाहेंगे कि ड्रीप अधिष्ठापन कार्य को अत्यावश्यक समझते हुए इससे जुड़े प्रतिष्ठानों से संबंधित कर्मियों को आवागमन तथा ड्रीप अधिष्ठापन से संबंधित यंत्र एवं सामग्रियाँ के परिवहन हेतु वाहनों के आवागमन के लिए छुट दी जाय। ड्रीप अधिष्ठापन कार्य के दौरान Personal Hygiene एवं Social Distancing का पूर्णतः ध्यान रखा जायेगा। इससे संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधकों को दिये जा रहे निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

07/5/2020

(डॉ० एन० सरवण कुमार)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक :– 703 NHM/ पटना दिनांक 07/4/2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी, पुलिस महानिरीक्षक/सभी, उप पुलिस महानिरीक्षक/सभी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी, सहायक निदेशक उद्यान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/04/2020

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 703 NHM/ पटना दिनांक 07/4/2020

प्रतिलिपि :– सभी निबंधित प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संलग्न निर्देशों का अक्षरतः पालन करते हुए ड्रीप अधिष्ठापन कार्य सुनिश्चित किया जाय। ड्रीप से संबंधित सामग्रियों के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों के ऊपर ''कृषि कार्य हेतु'' पोस्टर चिपकाया जाय।

07/04/2020

सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

Scanned with CamScanner